झारखण्ड विधान सभा

सत्यमेव जयते

उषा मार्टिन विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

ऊषा मार्टिन विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018

[सभा द्वारा यथापारित]

ऊषा मार्टिन विश्वविद्यालय (संशोधन) बिधेयक, 2012 में संशोधन हेतु विधेयक भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो,

अध्याय-1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार अवाम प्रारंभ –

   (i) यह अधिनियम ऊषा मार्टिन विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहा जा सकेगा।

   (ii) यह तुरंत प्रभावी होगा।

अध्याय-2

ऊषा मार्टिन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 का संशोधन-

2. ऊषा मार्टिन विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा -6 की उपधारा- (2) का संशोधन-

   धारा-6 की उपधारा-(2) के वर्तमान प्रावधान- "प्रशासन मंडल की पूर्व अनुमति से विश्वविद्यालय किसी महाविद्यालय अथवा अन्य किसी संस्था को संबद्ध कर सकता है" को विलोपित किया जाता है।

यह विधेयक उषा मार्टिन विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 दिनांक 20 जुलाई, 2018 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 20 जुलाई, 2018 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(दिनेश उराँव)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 43--50--3-8-2018